भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं.823

जिसका उत्तर 21.11.2019 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण

823. श्री दिलेश्वर कामैतः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 और 323-ई जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनकी मरम्मत करने और इन्हें मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इन राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण इन राजमार्गों पर स्थापित टोल प्लाजाओं को सौंपा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान बिहार राज्य में स्थित ऐसे टोल प्लाजा से प्राप्त कुल राजस्व और संबंधित टोल-सड़कों के अनुरक्षण पर खर्च किए गए धन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) एवं (ख): जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 323ई बिहार में नहीं है। हालांकि, 227 किमी लंबाई वाली राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 327ई बिहार में है। दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात 327ई और 57 मोटर योग्य स्थिति में हैं।

(ग): राष्ट्रीय राजमार्ग 57 का रखरखाव, संचालन, रखरखाव और अंतरण (ओएमटी) मोड पर किया जा रहा है, जिसके तहत रियायतग्राही को पूरी रियायत अवधि के दौरान टोल इकट्ठा करने और सड़क का रख-रखाव करने का अधिकार है। राष्ट्रीय राजमार्ग 327ई का मंत्रालय के बजटीय सहायता से रख-रखाव किया जा रहा है।

(घ): पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग-57 के रख-रखाव के लिए रियायतकर्ता से वर्ष के दौरान रियायत शुल्क के रूप में 45.04 करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं। रियायतग्राही का दायित्व है कि वह पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग-57 को सेवा योग्य स्थिति में बनाए रखे।

*****